NEERAJ®

Serving Education for Last 40 Years

बी.आर. अम्बेडकर चिंतन

(Understanding B.R. Ambedkar)

B.A.B.G.-171

Chapter Wise Reference Book
Including Many Solved Sample Papers

Based on

C.B.C.S. (Choice Based Credit System) Syllabus of

I.G.N.O.U.

& Various Central, State & Other Open Universities

By: *Ved Prakash Sharma*

NEERAJ PUBLICATIONS
(Publishers of Educational Books)

Mob.: 8510009872, 8510009878 E-mail: info@neerajbooks.com
Website: www.neerajbooks.com

MRP ₹ 280/-

Content

बी.आर. अम्बेडकर चिंतन

(Understanding B.R. Ambedkar)

Question Paper—June-2023 (Solved) 1-2

Question Paper—December-2022 (Solved) 1

Question Paper—Exam Held in July-2022 (Solved) 1

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page

1. जाति एवं जाति का उन्मूलन 1
(Caste and Annihilation of Caste)

2. गाँव 9
(Village)

3. आदर्श समाज 16
(Ideal Society)

4. अस्पृश्यों का उद्धार 24
(Emancipation of Untouchables)

5. लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तीकरण 32
(Gender Equality and Empowerment of Women)

6. संवैधानिक साधन और सामाजिक न्याय 40
(Constitutional Means and Social Justice)

7. वित्तीय प्रबंधन और रुपए की समस्या 47
(Financial Management and the Problem of Rupees)

8. औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की समीक्षा 57
(Critique of Colonial Economy)

9. पूँजीवाद और राज्य समाजवाद 67
(Capitalism and State Socialism)

10. भूमि और छोटी जोतें 74
(Land and Small Holdings)

11. जाति का अर्थशास्त्र-एक आलोचनात्मक विश्लेषण 82
(Critique of Economic Aspect of Caste)

12. श्रमिक और श्रम विधान 89
(Labour and Labour Legislation)

13. राष्ट्र एवं राष्ट्र निर्माण संबंधी विचार 98
(Ideas of Nation and Nation-Building)

14. लोकतंत्र और नागरिकता 107
(Democracy and Citizenship)

15. संघवाद और भाषिक राज्य 116
(Federalism and Linguistic States)

16. संसदीय लोकतंत्र 125
(Parliamentary Democracy)

17. सामाजिक लोकतंत्र 133
(Social Democracy)

18. लोकतंत्र का भविष्य 141
(Future of Democracy)

19. संवैधानिक प्रावधान तथा प्रतिनिधित्व का विचार 148
(Constitutional Provisions and the Idea of Representation)

20. अधिकार और प्रतिनिधित्व 153
(Rights and Representations)

■■

Sample Preview of the Solved Sample Question Papers

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

QUESTION PAPER

June – 2023

(Solved)

बी.आर. अम्बेडकर चिंतन

(Understanding B.R. Ambedkar)

B.A.B.G.-171

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : **किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

प्रश्न 1. अम्बेडकर के एक आदर्श समाज के दृष्टिपत्र पर नोट लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-18, प्रश्न 1

प्रश्न 2. संसदीय लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? वर्णन कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-16, पृष्ठ-125, 'संसदीय लोकतंत्र का अर्थ'

प्रश्न 3. भारतीय ग्राम पर अम्बेडकर के विचारों की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-12, प्रश्न 1

प्रश्न 4. लैंगिकता पर अम्बेडकर के दृष्टिकोणों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-5, पृष्ठ-32, 'लैंगिक के बारे में अम्बेडकर के प्ररिप्रेक्ष्य'

प्रश्न 5. अम्बेडकर के जाति व्यवस्था के आर्थिक विश्लेषण की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-11, पृष्ठ-82, 'जाति व्यवस्था का आर्थिक विश्लेषण'

प्रश्न 6. अम्बेडकर के पूँजीवाद और समाजवाद की एक वैकल्पिक व्यवस्था की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-67, 'पूँजीवाद और वैकल्पिक दृष्टिकोण', पृष्ठ-68, 'राज्य समाजवाद पर अम्बेडकर के विचार'

प्रश्न 7. अम्बेडकर की सामाजिक लोकतंत्र की संकल्पना की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-17, पृष्ठ-133, 'अम्बेडकर की सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा'

प्रश्न 8. अम्बेडकर के अनुसार 'शूद्र' कौन थे? चर्चा कीजिए।

उत्तर–चातुर्वर्ण्य ने वर्गों के बीच संबद्ध जीवन की शर्तों को निर्धारित करने के लिए 'वर्गीकृत असमानता' के सिद्धांत को आधार बनाया। इस प्रणाली के तहत शूद्र को न केवल श्रेणी में सबसे नीचे रखा जाता है, बल्कि उसे असंख्य अपमान और अक्षमताओं के अधीन किया जाता है, ताकि उसे कानून द्वारा उसके लिए तय की गई स्थिति से ऊपर उठने से रोका जा सके।

ब्राह्मणवादी कानून ने अक्सर दूसरे (ब्राह्मण) के लाभ के लिए एक वर्ग (शूद्र) को कई 'अक्षमताएँ' प्रदान कीं। उदाहरण के लिए, यदि कोई शूद्र किसी ब्राह्मण के खिलाफ अपराध करता है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य की तुलना में अधिक सजा की मांग कर सकता है। इसी प्रकार, एक ब्राह्मण किसी शूद्र का बलिदान करने के लिए उसकी संपत्ति बिना किसी अपराध के दोषी हुए ले सकता था।

डॉ. अम्बेडकर का तर्क है कि 'शूद्र' शब्द एक जनजाति का उचित नाम है, न कि एक व्युत्पन्न शब्द, जो 'दुख से उबरे व्यक्ति' को दर्शाता है, जैसा कि कुछ प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है। वह लिखते हैं, 'ब्राह्मणवादी लेखक मनगड़न्त व्युत्पत्तियों का आविष्कार करने की कला में सभी से आगे हैं।'

इसके अलावा, डॉ. अम्बेडकर यह दिखाने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि शूद्र उच्च वर्ग के थे और उनमें से कुछ प्राचीन आर्य समुदायों में राजा थे। उनकी परिकल्पना है कि शूद्र राजाओं और ब्राह्मणों के बीच 'हिंसक संघर्ष' के परिणामस्वरूप शूद्रों को 'अपमानित' किया गया और उन्हें चौथा वर्ण बनाया गया।

डॉ. अंबेडकर आगे कहते हैं कि 'अस्पृश्यता' का कोई नस्लीय या व्यावसायिक आधार नहीं है। अपने मूल रूप में हिंदुओं और अछूतों के बीच का अंतर 'जनजाति' और 'टूटे हुए पुरुषों' के बीच समान था, जो विदेशी जनजातियों से थे। अस्पृश्यता की जड़ें बौद्धों के प्रति ब्राह्मणों की अवमानना में थीं और यह कि अछूत 'अशुद्ध' वर्ग से भिन्न हैं, जो धर्म सूत्र में बहुत पहले दिखाई दिया था।

QUESTION PAPER

December – 2022

(Solved)

बी.आर. अम्बेडकर चिंतन

(Understanding B.R. Ambedkar)

B.A.B.G.-171

समय : 3 घण्टे] *[अधिकतम अंक : 100*

नोट : **किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।**

प्रश्न 1. भारतीय ग्राम पर अम्बेडकर के विचारों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-2, पृष्ठ-12, प्रश्न 1

प्रश्न 2. नागरिकता पर अम्बेडकर के विचार लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-14, पृष्ठ-110, प्रश्न 2 तथा प्रश्न 3

प्रश्न 3. संसदीय लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? सविस्तार लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-16, पृष्ठ-125, 'संसदीय लोकतंत्र का अर्थ'

प्रश्न 4. अम्बेडकर के सामाजिक लोकतंत्र की संकल्पना की चर्चा कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-17, पृष्ठ-133, 'अम्बेडकर की सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा'

प्रश्न 5. अम्बेडकर की एक आदर्श समाज की कल्पना पर एक टिप्पणी लिखिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-3, पृष्ठ-18, प्रश्न 1

प्रश्न 6. अम्बेडकर का छुआछूत पर चिंतन क्या है? आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-4, पृष्ठ-24, 'अस्पृश्यता से संबंधित परिप्रेक्ष्य' तथा पृष्ठ-26, 'आजादी के बाद अस्पृश्यता'

प्रश्न 7. स्वर्ण विनिमय मानक क्या है? स्वर्ण मानक से यह कैसे भिन्न है?

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-7, पृष्ठ-50, प्रश्न 4

प्रश्न 8. अम्बेडकर के पूँजीवाद और समाजवाद की एक वैकल्पिक संकल्पना का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर–संदर्भ–देखें अध्याय-9, पृष्ठ-67, 'पूँजीवाद और वैकल्पिक दृष्टिकोण' तथा पृष्ठ-68, 'राज्य समाजवाद पर अम्बेडकर के विचार'

■■

Sample Preview of The Chapter

Published by:

NEERAJ PUBLICATIONS

www.neerajbooks.com

बी.आर. अम्बेडकर चिंतन
(Understanding B.R. Ambedkar)

जाति एवं जाति का उन्मूलन
(Caste and Annihilation of Caste)

1

परिचय

विभिन्न शताब्दियों से भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का बोलबाला रहा है। यह प्रणाली सभी व्यक्तियों को चार पदानुक्रमित श्रेणियों में वर्गीकृत करती है, जिन्हें वर्ण कहा जाता है, जिनमें ब्राह्मण उच्चतम स्तर पर और शूद्र सबसे निचले स्तर पर होते हैं–ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति सदस्यता जन्म के समय निर्धारित होती है और किसी की संतान भी स्वचालित रूप से उसी जाति को सौंपी जाती है। इस अध्याय में, हम भारत में जाति व्यवस्था का पता लगाएंगे, जिसमें इसकी कार्यप्रणाली, उत्पत्ति, विकास और इसे समाप्त करने के प्रयास शामिल हैं।

अध्याय का विहंगावलोकन

जाति पर अम्बेडकर के विचार

अम्बेडकर ने भारत में जातियों के विषय पर कोलंबिया विश्वविद्यालय में एक शोध पत्र दिया, इसे एक महत्त्वपूर्ण संस्थान के रूप में मान्यता दी, जिसके लिए गहन स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। वह जाति की उत्पत्ति पर अधिकांश मौजूदा सिद्धांतों से असहमत थे और मानते थे कि अगर यह बनी रही तो यह बाहरी लोगों के साथ सामाजिक संपर्क को रोकती रहेगी और एक वैश्विक समस्या बन जाएगी। उन्होंने सेनार्ट और नेस्फील्ड के सिद्धांतों की आलोचना की, लेकिन जातियों की व्यवस्था के संबंध में केतकर की जाति की परिभाषा से सहमत हुए।

अम्बेडकर का तर्क है कि भारतीय समाज सुदूर अतीत के अनुष्ठानों के अभ्यास में अद्वितीय है और इसका धर्म मौलिक रूप से आदिम है। भारत में बहिर्विवाह अभी भी प्रचलित हैं और गोत्र व्यवस्था अभी भी महत्त्वपूर्ण है, यद्यपि गोत्र नहीं हैं। बहिर्विवाह को एक पंथ माना जाता है, जिसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, इसका उल्लंघन करने पर अधिक कठोर दंड का प्रावधान है। हालांकि अंतर्विवाह या अपने ही समूह के भीतर विवाह करना, बहिर्विवाह पर थोप दिया गया है, जिससे जातियों का निर्माण हुआ है।

अंतर्विवाह अर्थात् जाति का उद्भव–अम्बेडकर ने एक काल्पनिक समूह की खुद को अंतर्विवाही बनाने की इच्छा का विश्लेषण करके जाति बनाने की चुनौतियों पर विचार प्रस्तुत किए। अंतर्विवाह स्थापित करने के लिए समूह को एक ऐसा दायरा निर्धारित करना होगा, जिसके आगे लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे समूह के भीतर समस्याएँ पैदा होती हैं, जैसे–लिंगों के बीच समानता बनाए रखना और सदस्यों को बाहर जाने से रोकने के लिए भीतर से वैवाहिक अधिकार प्रदान करना। जाति की समस्या अंततः इसके भीतर दो लिंगों की विवाह योग्य इकाइयों के बीच असमानता को ठीक करने तक सीमित हो जाती है।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के मुद्दे को संबोधित करने और जातीय सजातीय विवाह को बनाए रखने के लिए, दो संभावित समाधानों पर विचार किया जा सकता है–

पहला उपाय यह है कि विधवा को उसके मृत पति की चिता पर जला दिया जाए। हालांकि यह दृष्टिकोण अक्सर अव्यावहारिक होता है और हमेशा प्रभावी नहीं होता है। हालांकि यह कुछ मामलों में काम कर सकता है, लेकिन यह एक सार्वभौमिक समाधान नहीं हो सकता है। यदि विधवा महिला को नहीं जलाया जाता है, तो वह या तो जाति के बाहर शादी करके और सजातीय विवाह का उल्लंघन करके या जाति के भीतर संभावित विवाह के लिए प्रतिस्पर्धा करके जाति के लिए खतरा पैदा कर सकती है।

दूसरा समाधान महिला के शेष जीवन के लिए अनिवार्य विधवापन लागू करना है। यद्यपि यह दृष्टिकोण वस्तुनिष्ठ परिणाम प्राप्त करने में विधवा दहन जितना प्रभावी नहीं है, फिर भी यह अधिक व्यावहारिक और मानवीय है। अनिवार्य विधवापन पुनर्विवाह की समस्या को रोकता है, लेकिन इससे महिला द्वारा अनैतिक आचरण की संभावना बढ़ सकती है, क्योंकि वह वैध पत्नी होने के प्राकृतिक अधिकार से वंचित हो जाती है।

इस प्रकार, जबकि विधवा को जलाने से एक अधिशेष महिला द्वारा पैदा की गई सभी तीन समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। दूसरी ओर, अनिवार्य विधवापन एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण है, लेकिन यह समूह की नैतिकता की रक्षा नहीं कर सकता है।

जाति बनने की चाह रखने वाले समूह में अधिशेष पुरुषों (विधुर) का मुद्दा अधिशेष महिलाओं की तुलना में अधिक जटिल है। पूरे इतिहास में, हर समूह में पुरुषों का दबदबा रहा है और उनकी इच्छाओं को हमेशा प्राथमिकता दी गई है। इसके विपरीत, महिलाओं को निम्न दर्जा दिया गया है और विभिन्न अन्यायपूर्ण नियमों के अधीन किया गया है। एक अतिरिक्त महिला के समान व्यवहार नहीं किया जा सकता है। किसी विधुर को उसकी मृत पत्नी के साथ जलाना दो कारणों से संभव नहीं है–पहला, यह केवल इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह एक पुरुष है और दूसरे, यदि ऐसा किया गया तो जाति एक मजबूत सदस्य समाप्त हो जाएगा।

जातिगत सजातीय विवाह को बनाए रखने की इच्छा रखने वाले समूह में अतिरिक्त आदमी को निपटाने के दो समाधान हैं। पहला उपाय यह है कि उसे जीवन भर विधुर बने रहने के लिए मजबूर किया जाए या प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन यह कोई व्यावहारिक समाधान नहीं है। इसके अलावा, यदि अधिशेष व्यक्ति समूह में रहता है और समूह की गतिविधियों में भाग लेता है, तो वह समूह की नैतिकता के लिए खतरा हो सकता है। दूसरा उपाय यह है कि उसे जाति के भीतर से ही पत्नी उपलब्ध कराई जाए। हालांकि शुरुआत में यह संभव नहीं है, क्योंकि विवाह योग्य पुरुषों के लिए विवाह योग्य महिलाएं ही पर्याप्त हैं। यह समाधान अधिशेष मनुष्य को जाति के भीतर रखता है और जाति की संख्यात्मक शक्ति, सजातीय विवाह और नैतिकता को संरक्षित करता है। किसी समूह के भीतर लिंगों के बीच संख्यात्मक संतुलन बनाए रखने के चार तरीके हैं–

1. विधवा को उसके मृत पति के साथ जलाना।
2. विधवापन को एक हल्के विकल्प के रूप में लागू करना।
3. विधुरों से जबरन ब्रह्मचर्य का पालन करवाना।
4. एक विधुर का अविवाहित लड़की से विवाह करवाना।

अम्बेडकर का मानना था कि विधवाओं को जलाने और विधुरों पर ब्रह्मचर्य लागू करने की प्रथा का उपयोग जाति व्यवस्था के भीतर सजातीय विवाह को बनाए रखने के लिए किया जाता था। अम्बेडकर ने उन समाधानों की जाँच की, जो हिंदुओं के अधिशेष पुरुषों और महिलाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए अपनाए थे और विवाह से संबंधित तीन असामान्य रीति–रिवाजों की पहचान की–सती प्रथा, विधवापन को लागू करना और बाल विवाह। उन्होंने इन रीति–रिवाजों की उत्पत्ति और औचित्य पर भी सवाल उठाया।

अम्बेडकर का तर्क है कि भारतीय लोगों के लिए अद्वितीय सामाजिक विकास के कुछ कानून का परिणाम था। जबकि समाज के उप-विभाजन स्वाभाविक हैं, भारतीय जाति व्यवस्था के साथ समस्या यह है कि ये उप-विभाजन बंद और आत्म-संलग्न इकाइयाँ बन गए हैं। अम्बेडकर का सुझाव है कि जाति व्यवस्था हिंदू मन में सती प्रथा, जबरन विधवापन और लड़की विवाह जैसी प्रथाओं की अंतर्निहित प्रकृति के कारण बनी हुई है, जिनका ब्राह्मण जाति से निकटता के आधार पर विभिन्न जातियों द्वारा अनुकरण किया गया था।

जाति का उन्मूलन/विनाश

अम्बेडकर ने 1936 में लाहौर के जात-पात-तोड़क मंडल के वार्षिक सम्मेलन के लिए एक भाषण तैयार किया था, जिसमें उन्होंने हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था को खत्म करने और भेदभाव को समाप्त करने के लिए कई उपाय प्रस्तावित किए थे। हालांकि मंडल ने यह कहते हुए सम्मेलन रद्द कर दिया कि भाषण में व्यक्त विचार असहनीय होंगे। अपने काम, 'जाति का विनाश' में अम्बेडकर ने तर्क दिया कि जाति का उन्मूलन स्वराज की लड़ाई की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण राष्ट्रीय कारण था, क्योंकि इसके लिए लोगों सहित पूरे देश के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता थी।

सामाजिक सुधार बनाम राजनीतिक सुधार–अम्बेडकर का तर्क है कि हिंदू समाज की अक्षमता हानिकारक रीति-रिवाजों से उत्पन्न होती है, जिसे निरंतर प्रयासों के माध्यम से समाप्त किया जाना चाहिए। इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ-साथ सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य हिंदू समाज में सुधार करना था। हालांकि सामाजिक बनाम राजनीतिक सुधार की प्राथमिकता को लेकर अंततः दोनों समूह एक-दूसरे के प्रति शत्रु हो गए। एक दशक तक समान रूप से मेल खाने वाली ताकतों के बावजूद, सामाजिक सम्मेलन अंततः जाति व्यवस्था को समाप्त करके हिंदू समाज के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के बजाय उच्च जाति के हिंदू परिवारों में सुधार पर अपना ध्यान केंद्रित करने के कारण ध्वस्त हो गया। यह अंतर महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पहले का संबंध विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह जैसे मुद्दों से है, जबकि बाद वाला स्वयं जाति व्यवस्था को लक्षित करता है। सामाजिक सम्मेलन, जो मुख्य रूप से प्रबुद्ध उच्च जाति के हिंदुओं से बना था, में जाति उन्मूलन के लिए आंदोलन करने का साहस नहीं था और इसके बजाय उन्होंने उन बुराइयों को दूर करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करती थीं। यह संघर्ष जाति उन्मूलन के सामाजिक सुधार के बजाय परिवार के सुधार पर केंद्रित था।

अम्बेडकर ने तर्क दिया कि सोशल रिफॉर्म पार्टी इसलिए विफल रही, क्योंकि उनका ध्यान केवल उच्च जाति के हिंदू परिवारों में सुधार पर था और वे समग्र रूप से हिंदू समाज, विशेषकर जाति व्यवस्था में सुधार के बड़े मुद्दे के प्रति उदासीन थे। उन्होंने राजनीतिक विचारधारा वाले हिंदुओं की योग्यता पर

सवाल उठाया, जिन्होंने अछूतों को सार्वजनिक स्कूलों, कुंओं, सड़कों, कपड़ों और भोजन तक पहुँच, जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया।

समाजवादियों का दोष–अम्बेडकर ने आर्थिक सुधार और संपत्ति के बराबरीकरण पर संकीर्ण ध्यान केंद्रित करने के लिए भारतीय समाजवादियों की आलोचना की। उनका तर्क था कि किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति भी शक्ति और अधिकार के स्रोत के रूप में काम कर सकती है। उन्होंने जाति और पंथ विभाजन की व्यापकता को देखते हुए भारतीय सर्वहारा वर्ग के एकजुट होने की क्षमता पर सवाल उठाए। अम्बेडकर का मानना था कि सच्ची एकता के लिए व्यक्तिगत समानता और भाईचारा आवश्यक था और किसी भी आर्थिक या राजनीतिक सुधार के लिए जाति व्यवस्था का उन्मूलन एक शर्त थी।

श्रम विभाजन के रूप में जाति–अपने काम 'जाति का विनाश' में, अम्बेडकर कुछ लोगों द्वारा जाति की रक्षा को चुनौती देते हैं, जो तर्क देते हैं कि यह समाज में श्रम विभाजन के लिए आवश्यक है। उनका तर्क है कि यह बचाव कई कारणों से त्रुटिपूर्ण है। सबसे पहले, जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि श्रमिकों का अलग-अलग हिस्सों में विभाजन है। यह विभाजन पदानुक्रमित एवं श्रेणीबद्ध है, जो किसी अन्य देश में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा, जाति व्यवस्था प्राकृतिक योग्यताओं पर आधारित नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के माता-पिता की सामाजिक स्थिति पर आधारित है, जो किसी व्यक्ति को अपना व्यवसाय बदलने की क्षमता को प्रतिबंधित करती है। यह बेरोजगारी का कारण बनता है और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं में बाधा डालता है, क्योंकि यह पूर्व नियति पर आधारित है।

हिन्दू समाज एक मिथक है–अम्बेडकर का दावा है कि हिंदुओं में 'जाति की चेतना' का अभाव है और इसके बजाय, उनमें केवल अपनी जाति की चेतना है। इसके कारण हिन्दू एक समाज या राष्ट्र बनाने में असफल हो जाते हैं। अम्बेडकर का तर्क है कि मनुष्य एक समाज तभी बना सकते हैं, जब उनके पास समान चीजें हों और यह केवल संचार और सामान्य गतिविधि में भागीदारी के माध्यम से ही हो सकता है। जाति व्यवस्था सामान्य गतिविधियों को रोकती है और इस प्रकार हिंदुओं को एकीकृत जीवन और चेतना वाला समाज बनने से रोकती है।

अम्बेडकर के अनुसार, हिंदुओं की नैतिकता पर जाति का प्रभाव निंदनीय है। उनका मानना है कि जाति ने हिंदुओं के बीच सार्वजनिक भावना, दान और विचार को ध्वस्त कर दिया है। एक हिंदू की सार्वजनिक जिम्मेदारी और निष्ठा उसकी जाति तक ही सीमित है। सदाचार और नैतिकता जाति से बंध गए हैं। पात्र के प्रति कोई सहानुभूति, मेधावी की सराहना या जरूरतमंदों के लिए दान नहीं है, जब तक कि वे एक ही जाति के न हों। अपनी जाति से बाहर के लोगों की पीड़ा किसी प्रतिक्रिया की मांग नहीं करती, जो दानशीलता, सहानुभूति और प्रशंसा मौजूद है, वह उनकी अपनी जाति के लोगों तक ही सीमित है।

जैविक आधार पर जाति व्यवस्था की आलोचना के अलावा, अम्बेडकर ने हिंदू धर्म पर भी टिप्पणी की। उनका तर्क है कि हिंदू धर्म एक मिशनरी धर्म नहीं है और जब हिंदुओं के बीच जाति व्यवस्था उभरी तो यह एक मिशनरी धर्म नहीं रह गया। जाति रूपांतरण के साथ असंगत है, क्योंकि समुदाय के सामाजिक जीवन में धर्मांतरित लोगों के लिए स्थान और जाति ढूँढ़ना मुश्किल है।

अम्बेडकर द्वारा जातिविहीन समाज के लिए सुझाए गए समाधान–अम्बेडकर ने जाति को खत्म करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रस्ताव रखा–

उप–जातियों की समाप्ति–अम्बेडकर ने इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उप-जातियों से छुटकारा पाने का मतलब यह नहीं है कि जातियाँ समाप्त हो जाएंगी। इसके बजाय, यह उन्हें सुदृढ़ और सशक्त बना सकता है, जिससे वे और अधिक हानिकारक हो सकते हैं।

अंतरजातीय भोजन का आरम्भ–हालांकि अम्बेडकर ने अंतरजातीय भोजन के मूल्य को पहचाना। उन्होंने सोचा कि यह अपर्याप्त था, क्योंकि इससे जाति की मानसिकता समाप्त नहीं हुई।

अंतरविवाह को प्रोत्साहित करना–अम्बेडकर का मानना था कि केवल रक्त का मिश्रण ही जाति द्वारा उत्पन्न बाहरी होने की भावना को खत्म करने के लिए आवश्यक रिश्तेदारी की भावना पैदा कर सकता है। कोई अन्य तरीका काम नहीं करेगा।

बोध प्रश्न

प्रश्न 1. जाति पर अम्बेडकर के विचारों पर एक निबंध लिखें।

उत्तर–अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था की एक सामाजिक बुराई के रूप में आलोचना की, जिसने असमानता, भेदभाव और सामाजिक विभाजन को कायम रखा। उन्होंने तर्क दिया कि जाति व्यवस्था हिंदू धार्मिक ग्रंथों और प्रथाओं में गहराई से निहित थी और अधिक समतावादी समाज बनाने के लिए इन पारंपरिक मान्यताओं से अलग होना आवश्यक था।

बी.आर. अम्बेडकर भारत के अग्रणी प्रगतिशील, उदार विचारकों में से एक हैं, जिनका भारतीय संविधान के निर्माण और सामाजिक क्रांति के जनादेश में योगदान अद्वितीय योगदान है। धनंजय कीरेगाड्र्स अम्बेडकर भारत में दलितों के अग्रणी नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने दलित चेतना को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने काम, 'भारत में जातियाँ : उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास' में, अम्बेडकर ने जाति को एक महत्त्वपूर्ण संस्था के रूप में पहचाना है, जिसका अभ्यास अतीत या समकालीन किसी भी अन्य सभ्य समाज द्वारा नहीं किया जाता है।

अम्बेडकर ने कहा कि प्राचीन हिंदू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्गों से बना था, जो अंतर्विवाह की प्रथा के माध्यम से जाति कहलाने वाली स्व-बंद इकाइयाँ बन गईं।

गोपाल गुरु अंबेडकर के उस तर्क की बात करते हैं, जिसमें वैदिक काल में भी लोग अपनी पहचान हिंदू के बजाय अपनी जाति के अनुसार बताते थे। इस पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था का उपयोग जानबूझकर आबादी के एक वर्ग को अशिक्षा, गरीबी और उत्पीड़न की स्थिति में रखने के लिए किया गया था।

जाति व्यवस्था का सबसे बुरा रूप अस्पृश्यता की प्रथा में परिलक्षित होता था, जो अस्पृश्यों को सामाजिक संपर्क के दायरे से बाहर रखने के लिए पवित्रता और प्रदूषण की धारणाओं का उपयोग करता था।

वह इस बात से सहमत नहीं थे कि अस्पृश्यता का आधार नस्ल है। उन्होंने इसे अपनी 'ब्रोकन मेन थीसिस' में प्रतिपादित ब्राह्मणवाद की विचारधारा द्वारा संरक्षित एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा।

जाति व्यवस्था में सुधार की मांग करने वाले गांधी के विपरीत, अम्बेडकर ने दलितों की मुक्ति के लिए जाति के पूर्ण विनाश का प्रस्ताव रखा। हालांकि मुक्ति की रणनीति का तर्क है कि जाफरलॉट ने दो तरीकों के बीच उतार-चढ़ाव देखा।

एक था हिंदू समाज में या समग्र रूप से भारतीय राष्ट्र में अछूतों का प्रचार और विभाजन की दूसरी रणनीति, जो एक अलग निर्वाचन क्षेत्र या एक अलग दलित पार्टी और हिंदू धर्म के बाहर धर्मांतरण का रूप ले सकती है।

जहां पहली पद्धति को दलितों के लिए समानता और अधिकारों की संवैधानिक प्रथाओं में शामिल किया गया था, वहीं दूसरी रणनीति को उनके मोनोग्राफ 'जाति का विनाश' शीर्षक में मूर्त रूप दिया गया था। वेलेरियन रोड्रिग्स की टिप्पणी है कि अम्बेडकर का मानना था कि जाति ने सार्वजनिक भावना को नष्ट कर दिया है और यह हिंदू धर्म पर एक धब्बा है।

अम्बेडकर ने वर्ग को खत्म करने के लिए विभिन्न तंत्रों की खोज की, जिसमें अंतर-भोजन को बढ़ावा देना, लेकिन जातिगत बंधनों को तोड़ने के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण अंतर्विवाह को बढ़ावा देना शामिल था। अंततः अम्बेडकर को यह विश्वास हो गया कि हिंदू धर्म में रहकर जाति का उन्मूलन संभव नहीं है। गुरु का मानना है कि अम्बेडकर का बौद्ध धर्म में परिवर्तन, ब्राह्मणवाद के आधिपत्य के खिलाफ दलितों के बीच 'नकारात्मक' चेतना पैदा करने और जाति के खतरे को समाप्त करने की एक अंतिम रणनीति थी, एक लड़ाई जो अभी भी भारत में जारी है।

प्रश्न 2. अंतर्विवाह प्रणाली किस प्रकार से जाति व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करती है?

उत्तर—समूह के सदस्यों द्वारा बाहरी लोगों से विवाह करने पर उत्पन्न होने वाली बाह्यता को कम करने के लिए एक समूह द्वारा अंतर्विवाह को अपनाया जाता है। हम प्रदर्शित करते हैं कि क्यों जाति व्यवस्था अंतर्विवाह के उल्लंघन के लिए दंड में लैंगिक असमानताओं को शामिल करती है और अल्पविवाह (विवाह करना) की तुलना में अतिविवाह (विवाह करना) को अधिक सहन करती है।

अंतर्विवाह, किसी को अपने ही समूह में विवाह करने का आदेश देने वाली प्रथा है। अंतर्विवाही प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के दंड संस्कृतियों में बहुत भिन्न हैं और मृत्यु से लेकर सामान्य अस्वीकृति तक हैं। जब किसी बाहरी समूह से विवाह अनिवार्य हो तो इसे बहिर्विवाह कहा जाता है।

मौजूदा और ऐतिहासिक अभिजात वर्ग, धार्मिक समूहों, जातीय समूहों और सामाजिक वर्गों के बीच अंतर्विवाह आम बात रही है। भारत के कुछ हिस्सों और प्रवासी भारतीयों में जातीय अंतर्विवाह की उम्मीदें कायम हैं। हालांकि कई लोग दावा करते हैं कि यह जातिगत भेदभाव का एक रूप है, एक प्रथा जिसे 20वीं शताब्दी के मध्य में अवैध बना दिया गया था।

सजातीय विवाह ने जाति व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था। अंतर्विवाह को प्राप्त करने के लिए, जाति को एक ऐसा दायरा निर्धारित करना पड़ता था, जिसके आगे लोगों को विवाह नहीं करना चाहिए। हालांकि इससे समूह के भीतर समस्याएँ पैदा हुईं, जैसे लिंगों के बीच समानता बनाए रखना और सदस्यों को समूह छोड़ने से रोकने के लिए भीतर से वैवाहिक अधिकार प्रदान करना। जाति की समस्या अंततः इसके भीतर दो लिंगों की विवाह योग्य इकाइयों के बीच असमानता को ठीक करने तक सीमित हो गई।

इसके अलावा, अंतर्विवाह के लिए अधिशेष महिलाओं और पुरुषों के निपटान की आवश्यकता होती है, जो संभावित रूप से अपने निर्धारित दायरे से बाहर शादी कर सकते हैं और जाति में विदेशी संतान पैदा कर सकते हैं। अधिशेष महिलाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, दो संभावित समाधानों पर विचार किया गया—विधवा को उसके मृत पति की चिता पर जलाना, या महिला के शेष जीवन के लिए अनिवार्य विधवापन लागू करना। इसी तरह, अधिशेष पुरुषों के निपटान के लिए दो संभावित समाधानों पर विचार किया गया, उसे जीवन भर विधुर बने रहने के लिए मजबूर करना या प्रोत्साहित करना या विधुर और समूह की एक अविवाहित लड़की के बीच विवाह की व्यवस्था करना।

इस प्रकार, अंतर्विवाह ने जाति व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि इसमें जाति के भीतर विवाहों पर सख्त नियंत्रण की आवश्यकता थी, जिसमें अधिशेष व्यक्तियों का निपटान और समूह के भीतर लिंग के बीच संख्यात्मक संतुलन बनाए रखना शामिल था।

प्रश्न 3. भारत में जाति के विध्वंस हेतु विविध तरीकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

उत्तर—जाति का उन्मूलन इस विश्वास का लेखा-जोखा है कि सामाजिक सुधार को राजनीतिक और धार्मिक सुधार पर प्राथमिकता देनी होगी, जो भारत के अछूत समुदाय पर उच्च जाति के लोगों द्वारा किए गए अत्याचार के उदाहरण प्रदान करता है। सामाजिक सुधार के बारे में बात करते हुए अम्बेडकर ने हिंदू समाज के पुनर्निर्माण, जाति व्यवस्था को तोड़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और हिंदुओं से यह स्वीकार करने का आग्रह किया कि